न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :— रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 18/2017

GCMS No- 2017/00045

रानीबाई पत्नी पुखराज जी जाति सरगरा आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1— श्री ज्ञानचन्द्र धाकड़ —अधिवक्ता प्रार्थी
2— पेरोकार सरकार तहसीलदार — अधिवक्ता अप्रार्थी

दिनांक 18.04.2023

::निर्णय::

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के ससुर जी श्री किशनलाल जी पिता बोतु सरगरा के नाम दिनांक 16.07.1987 को आराजी न. 323 में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आवंटित होकर गैर खातेदारी में दर्ज हुई उसके पश्चात् दिनांक 22.05.1992 को विरासत से उक्त आराजियात किशना के बजाय विनोद, पुखराज पिता किशना व मांगीबाई बेवा किशना सरगरा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा उसके पश्चात् नामान्तरण संख्या 7004 से संवत् 2050 से 2053 की जमाबंदी खतौनी में खातेदारी में दर्ज करने के आदेश प्रदान हुए तथा संवत् 2054 से 2057 की जमाबंदी में भी खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज रेकर्ड है ।

2. यह कि पुखराज के असमय मृत्यु हो जाने के कारण विरासत से नामान्तरण संख्या 92 दिनांक 07.10.2013 को पुखराज के बजाय राजकुमार नेहा, कविता पिता पुखराज नाबालिग सरपरस्त माता रानीबाई व मु० रानीबाई पत्नी स्व. पुखराज के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा इसी दौरान सेटलमेन्ट की गलती से खातेदार विनोद, पुखराज पिता किशनलाल मु० मांगीबाई पत्नी स्व. किशनलाल सरगरा को संवत् 2069 से 2072 की जमाबंदी में गैर खातेदार दर्ज कर दिया जो सहवन से सेटलमेन्ट की गलती से हुआ है इसलिये उसे सुधारा जाना आवश्यक एवं न्यायोचित तथा गैर खातेदार की जगह खातेदार अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested

3. यह है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से विचाराधीन प्रकरण संख्या 18/2017 प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर०एक्ट रानीबाई पत्नी पुखराज जाति सरगरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा में मौका रिपोर्ट चाही गई, जिसकी जांच तहसीलदार निम्बाहेड़ा से करवाई गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रकरण संख्या 18/2017 प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर०एक्ट में

मौका रिपोर्ट चाही गई, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सतखण्डा की गत साबिक आनं0 323 रकबा 42 बीघा 9 बिस्वा में से आंवटन से आनं० 1841/323 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि नामा० सं0 714 दिनांक 16.07.87 से श्री किशनलाल पिता बोतू सरगरा सा० सतखण्डा के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई। तत्पश्चात ना०सं० 734 दिनांक 22.05.92 से भूमि विरासत से विनोद, पुखराज वगैराह वारिसान के नाम दर्ज हुई। यह कि सम्वत् 2050—53 के रोटेशन में प्रार्थिया के कथनानुसार ना०स० 7004 से उक्त आराजी को खातेदारी में दर्ज करना कथन किया है किन्तु सम्वत् 2050—53 की जमाबन्दी टिप्पणी अनुसार प्रार्थीगण की आराजी नं0 245/1718 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को ही खातेदारी हक से दर्ज की गई, न कि आ.नं0 1841/323 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा को गत भू—प्रबन्ध की आ.न. 1841/323 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से नवीन आ०न० 516 रकबा 0.63 हैक्टेयर बने हैं। जो वर्तमान में भी विनोद वगैराह के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। प्रश्नगत आ.नं 516 लगातार गैर खातेदारी ही दर्ज चली आ रही है । कोई त्रुटि नहीं हुई है। अतः प्रकरण खारिज योग्य है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गयी पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । विपक्षी न. 2 तहसीलदार द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि ग्राम सतखण्डा की गत साबिक आनं0 323 रकबा 42 बीघा 9 बिस्वा में से आंवटन से आनं० 1841/323 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि नामा० सं0 714 दिनांक 16.07.87 से श्री किशनलाल पिता बोतू सरगरा सा० सतखण्डा के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई। तत्पश्चात ना०सं० 734 दिनांक 22.05.92 से भूमि विरासत से विनोद, पुखराज वगैराह वारिसान के नाम दर्ज हुई। यह कि सम्वत् 2050—53 के रोटेशन में प्रार्थिया के कथनानुसार ना०स० 7004 से उक्त आराजी को खातेदारी में दर्ज करना कथन किया है किन्तु सम्वत् 2050—53 की जमाबन्दी टिप्पणी अनुसार प्रार्थीगण की आराजी नं0 245/1718 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा को ही खातेदारी हक से दर्ज की गई, न कि आ.नं0 1841/323 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा को गत भू—प्रबन्ध की आ.न. 1841/323 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से नवीन आ०न० 516 रकबा 0.63 हैक्टेयर बने हैं। जो वर्तमान में भी विनोद वगैराह के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। प्रश्नगत आ.नं 516 लगातार गैर खातेदारी ही दर्ज चली आ रही है । कोई त्रुटि नहीं हुई है। अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निर्णय लिखा गया ।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 कोई भी सबूत / साक्ष्य नही होने तथा तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजी न0 1841/323 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा हाल आराजी नम्बर 516 रकबा 0.063 हैं । आवंटन के समय से ही गैर खातेदारी दर्ज होने रिकार्ड अंकन करने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.4.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर तरतीब से कम हो दाखील दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested

18/4/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा